


ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

ग्वालियर जिला में साँची दुग्ध उत्पाद  
सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु  
आवेदन – प्रपत्र  
वर्ष 2020–21  
द्वितीय आमंत्रण



ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर  
गोला का मन्दिर, ग्वालियर-474005  
दूरभाष – 0751-2365523,2368107

मोनो

## ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

गोला का मन्दिर, ग्वालियर-474005

दूरभाष - 0751-2365523,2368107

### ग्वालियर जिला में साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन सूचना।

ग्वालियर जिले में साँची दुग्ध पदार्थ के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिए तीन वर्ष हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता फर्म/प्रतिष्ठान रूपये 500=00 (पांच सौ मात्र) दिनांक 01-12-2020 से किसी भी दिवस में वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> से डाउनलोड कर आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500/- का डी.डी. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के नाम बनवाकर संलग्न करे। इच्छुक आवेदक रूपये 500/- के नगद/ऑनलाइन भुगतान कर उपरोक्त स्थान से भी कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र क्रय कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 17-12-2020 को अपरान्ह 01.00 बजे तक ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मन्दिर में जमा किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ई.एम.डी. राशि रूपये 50,000=00 का बैंक ड्राफ्ट जो "ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित " के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना ई.एम.डी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन दिनांक 17-12-2020 को ही अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित आवेदक/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जाएंगे। किसी भी अथवा समस्त आवेदन पत्रों को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा एवं किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु न्यायिक क्षेत्र ग्वालियर ही रहेगा।

शेष विस्तृत जानकारी वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

## ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 01-12-2020 प्रातः 11:00 बजे
2	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	17-12-2020 दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय	17-12-2020 दोपहर 01:00 बजे तक
4	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	17-12-2020 दोपहर 03:00 बजे तक
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	50,000=00 (पचास हजार मात्र) ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित पेयबल एट ग्वालियर के नाम से देय हो।
6	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र)
7	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मन्दिर, ग्वालियर
8	दुग्ध उत्पाद सुपर स्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तों का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
9	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र - 03
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04
11	दर संरचना	प्रपत्र - 05

### आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 "तकनीकी अर्हताएं" प्रपत्र क्रमांक 02 "सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 3 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 4 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक "बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ग्वालियर जिला हेतु "साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन" लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों की अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र - 01, 02, एवं 03 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 05 पर साँची दुग्ध उत्पाद की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूंजी निवेश का पूर्ण विप्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

## तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/ प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता ।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड ।
3	आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर ।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर अथवा नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में आवेदक को GST नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		GST रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।
6	साँची दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन मॉडल – 2016 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (नया वाहन खरीदने की स्थिति में रु. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर तदाषय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं का वाहन होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी तथा अनुबंधित वाहन होने पर रु. 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध एवं संबंधित वाहन की पंजीयन प्रमाण पत्र )		वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
8	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। छायाप्रति संलग्न करें
9	FSSAI का वैध लायसेन्स।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।
10	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना		छायाप्रति संलग्न करें।

	अनिवार्य होगा।		
11	विगत दो वर्षों में कुल न्यूनतम टर्नओवर रू. 1.00 करोड़ अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है।		विगत दो वर्षों की बेलेंस शीट सीए द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।
12	ई.एम.डी. राशि रू. 50,000/-		मूल डी.डी. संलग्न करें।
13	आवेदन पत्र के मूल्य का डी.डी. का विवरण।		मूल डी.डी. संलग्न करें।
14	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ / अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
15	आवेदनकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी,माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
16	गत दो वर्षों के FMCG कार्य का अनुभव एवं विवरण।		वांछित दस्तावेज संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक-पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. आवेदनकर्ता की पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
4. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट कार्य को निरस्त कर ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर जो भी कार्यवाही की जावेगी वो मुझे मान्य होगी तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर .....

नाम-----

पता-----

-----

दूरभाष नम्बर -----

मोबाईल नम्बर -----

(सामान्य शर्तें )

प्रपत्र क्रमांक – 02

**ग्वालियर जिला में साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट कार्य के लिए**  
**आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें**

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। आवेदक का दुग्ध पदार्थ विक्रय का वर्तमान कार्यक्षेत्र/अनुभव ग्वालियर शहर होना अनिवार्य है। ग्वालियर शहर के बाहर कार्यरत आवेदकों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 50,000/- (अक्षरी रू. पचास हजार मात्र) डी. डी. आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत कुल प्रतिभूति राशि रूपये 03 लाख जिसमें रूपये 02 लाख नगद/डी.डी./आर.टी.जी.एस एवं रूपये 01 लाख बैंक ग्यारंटी, जमा करना होगी। नगद जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. आवेदनकर्ता के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत दो वित्तीय वर्षों में कुल न्यूनतम 1 करोड़ रूपये का टर्न ओव्हर होना आवश्यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बेलेंसशीट संलग्न करना होगी।
5. सुपर स्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध उत्पाद के व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी।
6. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।
7. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले दुग्ध उत्पाद की अग्रिम राशि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी। शासकीय अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व के कार्य दिवस को समस्त धनराशि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जाएगी। अतः ऐसे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो।
8. सुपर स्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध पदार्थ प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने वाले पश्चात किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा गुणवत्ता की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की रहेगी।

9. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पंजीकृत अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट को तीन वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
10. सुपर स्टॉकिस्ट को वितरकों से मांग प्राप्त होने पर तत्काल दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को सीधे दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जावेगा इस प्रकार प्रदायित दुग्ध उत्पाद की मात्रा पर सुपर स्टॉकिस्ट को कोई कमीषन देय नहीं होगा।
11. दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों तथा दुग्ध शीत केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाली दुग्ध उत्पाद की मात्रा पर भी सुपर स्टॉकिस्ट को कोई कमीषन देय नहीं होगा।
12. सुपर स्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण ग्वालियर शहर में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।
13. सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं उनको प्राप्त करना होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावगी, उसकी 10% राशि दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट की जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
14. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को कम से कम 2 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण ग्वालियर शहर हेतु रखना होगा, जिनकी जानकारी ग्वालियर दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी।
15. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोषन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।
16. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
17. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुषंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
18. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।



19. वर्तमान में जिन पार्टियों के विरुद्ध दुग्ध संघ का किसी भी प्रकार का विवाद/प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो ऐसी पार्टी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसी पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।
20. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता /सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो आवेदन स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान अनुबंध से सम्बंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे अन्यथा अनुबंध स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा।
21. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस आषय का आवेदक को रू. 100/- के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
22. आवेदक को आवेदन के साथ इस आषय का पृथक रू. 100/- के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।
23. यदि तकनीकी रूप से सफल एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसको कार्य आवंटित किया जावेगा परन्तु दो या दो से अधिक तकनीकी रूप से सफल आवेदन प्राप्त होने पर चयन आवेदकों तथा समिति सदस्यों के समक्ष लॉटरी ड्रॉ के द्वारा किया जावेगा।

मेरे द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं आवेदन की शर्तों तथा अनुबंध में वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता



ग्वालियर जिला में साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट हेतु  
आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट  
साईज फोटो  
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम — .....
2. पिता/पति का नाम — .....
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित)  
दूरभाष नं. /मोबाईल नं.  
E-mail-id — .....
4. शैक्षणिक योग्यता — .....
5. आवेदक/फर्म का नाम /यदि  
फर्म पार्टनरशिप है ता पार्टनरशिप  
फर्म की पूर्ण जानकारी  
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। — .....
6. वर्तमान व्यवसाय/अनुभव का विवरण — .....
7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर  
(टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र संलग्न करें) — .....
8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.)  
(अ) चल अचल सम्पति का ब्योरा — .....
- (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में  
जमा राशि — .....
- (गत दो वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें।)
9. सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवश्यक  
पूँजी की व्यवस्था — .....
10. जी.एस.टी. नम्बर — .....

11. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा अनुबंधित वाहन होना आवश्यक) — .....  
 वाहन के पंजीयन/अनुबंध की — .....  
 छायाप्रति संलग्न करें। — .....
12. भण्डारण हेतु — .....  
 वर्तमान क्षमता/व्यवस्था — .....
13. धरोहर/ई.एम.डी. राशि — रु.....  
 डी.डी./एम.आर.नं/यू.टी.आर. नं. — .....

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता.....  
 .....  
 .....

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है ) एवं .....  
.....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है )  
के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निष्पादित किया जाता है :-

1. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दुग्ध पदार्थ वितरण /विक्रय हेतु सम्पूर्ण ग्वालियर शहर के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से तीन वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। जिसे लक्ष्य पूर्ति वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक-एक वर्ष के लिए दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राशि रु..... जिसमें नगद रूपये....  
..... एवं रूपये ..... की बैंक ग्यारंटी जमा की गई है, नगद जमा की गई प्रतिभूति राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
3. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले दुग्ध उत्पाद की अग्रिम राशि का भुगतान दुग्ध संघ को एक दिवस पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी। शासकीय अवकाश की तिथियों में प्रदायगी तभी की जावेगी जब एक दिन पूर्व के कार्य दिवस को समस्त धनराशि अग्रिम दुग्ध संघ में प्राप्त हो जाएगी। अतः ऐसे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो।
4. मांग एवं दुग्ध संघ में उपलब्धता अनुसार साँची दुग्ध पदार्थ का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष उसी पैकिंग/ इकाई/केस/कर्टन में (साँची दुग्ध पदार्थ) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुला साँची दुग्ध पदार्थ का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से समय निश्चित करते हुए एक बार दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा।
5. प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष साँची दुग्ध पदार्थ की विक्रय का वितरण समान रूप से वितरक की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से दुग्ध पदार्थ की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जानबूझकर लापरवाही की जा रही है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को दुग्ध पदार्थ के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश में उल्लेखित किये गये हैं।
7. प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावेगी, उसकी 10 प्रतिशत राशि सुपर स्टॉकिस्ट की जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेन्सी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
8. प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट कार्य को आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी दबाव अथवा अन्य कारण मान्य नहीं रहेगा।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट-छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष से उठायी गई साँची दुग्ध पदार्थ मात्रा का लेखा-जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
11. द्वितीय पक्ष दुग्ध पदार्थ प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात किसी भी प्रकार शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।
12. यदि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले साँची दुग्ध पदार्थ पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
13. द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर सम्बंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्त्री सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

14. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित दुग्ध पदार्थ के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष उन्हें सील बंद ईकाई (दुग्ध पदार्थ) में देंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला दुग्ध पदार्थ नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध पदार्थ का वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा नहीं दिया जावेगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से साँची दुग्ध पदार्थ प्रदाय नहीं कर सकेगा।
16. द्वितीय पक्ष "साँची दुग्ध पदार्थ" के वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट वितरक नियुक्त है, अतः छोटे-छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससे साँची ब्राण्ड दुग्ध पदार्थ के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।
17. उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा-खर्चा द्वितीय पक्ष से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
18. उक्त अनुबंध दोनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।
19. उभयपक्षों (प्रथम एवं द्वितीय पक्ष) की आपसी सहमति से अनुबंध पत्र की शर्तों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र की समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र एवं परिपत्र भी इस अनुबंध पत्र का हिस्सा माने जाएंगे।
20. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में विवाद को निर्णयार्थ आर्बीट्रेटर को सौंपा जा सकेगा। आर्बीट्रेटर उभयपक्षों की सहमति से अथवा **Arbitration Act** अनुसार निर्धारित किया जावेगा व आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा जो कि अन्तिम होगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय ग्वालियर होगा।
22. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा कार्यक्षेत्र में स्थित वितरकों आदि को प्रदायित दुग्ध पदार्थ की राशि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
23. कार्यक्षेत्र में स्थित डिपार्टमेन्टल स्टोर या माल आदि में दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा की जाएगी। परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि इन स्टोर/माल में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या स्टोर सीधे दुग्ध संघ से सीधे क्रय करना चाहते हैं तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा।

24. द्वितीय पक्ष को ग्वालियर सहाकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी जिस हेतु रूपये 100/- का अंश खरीदना होगा परन्तु उसे मत (वोट) इत्यादि देने की पात्रता नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होंष-हवास में ग्वालियर सहाकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर सहाकारी दुग्ध संघ  
मर्या गोला का मन्दिर, ग्वालियर  
— 474005

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)  
सुपर स्टॉकिस्ट (दुग्ध उत्पाद)  
नाम.....  
पता .....

हस्ताक्षर गवाह — 1  
नाम : .....  
पता:.....

हस्ताक्षर गवाह —2  
नाम : .....  
पता:.....

हस्ताक्षर गवाह — 1  
नाम :.....  
पता: .....

हस्ताक्षर गवाह —2  
नाम : .....  
पता: .....

**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मन्दिर, ग्वालियर (म.प्र.)**

ग्वालियर दुग्ध संघ के समस्त कार्यक्षेत्र के सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/विक्रेता/उपभोक्ता हेतु साँची दुग्ध उत्पादों की वर्तमान दर संरचना :-

S.N	Product Name	Pack Size	SUPER STOCKIST	Distributor	Retailer	M.R.P.(Rs.)
1	सादा मट्ठा	500 M.L.	9.25	9.75	10.50	12.00
2	नमकीन मट्ठा	200 M.L.	6.50	7.00	8.00	10.00
3	श्रीखण्ड	100 GM	19.00	19.50	21.00	25.00
4	श्रीखण्ड	500 GM	92.50	95.00	100.00	115.00
5	सुगन्धित मीठा दूध	200 M.L.	19.00	19.50	21.00	25.00
6	गोल्डन हल्दी मिल्क	200 M.L.	25.50	26.00	27.00	30.00
7	मीठी लस्सी	200 M.L.	19.00	19.50	21.00	25.00
8	सादा दही	200 GM	15.75	16.25	17.50	20.00
9	सादा दही	400 GM	20.00	21.00	22.25	25.00
10	सादा दही	100 gm	7.20	7.50	8.00	10.00
11	सादा दही	1 KG	53.00	55.00	57.50	65.00
12	मीठा दही	100 GM	9.20	9.50	10.50	12.00
13	पेड़ा	500 GM	141.00	144.00	152.00	170.00
14	पेड़ा	250 GM	73.00	75.00	80.00	90.00
15	पेड़ा	2 Pc	12.00	12.25	13.00	15.00
16	मक्खन	100 GM	44.00	45.00	47.00	52.00
17	मक्खन	500 GM	215.00	220.00	228.00	250.00
18	कुकिंग बटर	500GM	161.17	165.69	170.52	185.00
19	मावा	500 GM	131.00	133.00	138.00	150.00
20	छेना रबड़ी	100 GM	22.00	23.00	25.00	30.00
21	ठण्डाई	200 M.L.	19.00	19.50	21.00	25.00
22	पनीर	200 GM	67.20	68.00	70.00	75.00
23	पनीर	500 GM	142.00	144.00	148.00	160.00
24	साँची नारियल बर्फी	500 GM	162.00	165.00	172.00	190.00
25	साँची नारियल बर्फी	250 GM	84.00	86.00	90.00	100.00
26	साँची रसगुल्ला	1 KG	135.00	139.00	149.00	170.00
27	साँची गुलाब जामुन	1 KG	163.00	167.00	179.00	200.00
28	प्रिमिक्स कॉफी	20GM	8.00	8.30	8.80	10.00
29	प्रिमिक्स कॉफी	1 KG	320.00	340.00	360.00	400.00



दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का  
शपथ पत्र का प्रारूप  
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम — .....  
पिता — .....  
आयु — .....  
निवासी — .....

1- ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा ग्वालियर जिला में दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा ग्वालियर जिला में दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

**सत्यापन**

मैं शपथग्राहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

वाहन उपलब्ध कराने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर जिला हेतु दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरा आवेदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक ..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर)

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर जिला हेतु दुग्ध पदार्थ सुपर स्टॉकिस्ट आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

इति दिनांक ..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....